

**आदेश-पत्रक**

(देखें अभिलेख हस्तक; 1941 का नियम 139)

आदेश पत्रक ता० ..... तक

**वाद सं०-80/2020**

केस का प्रकार - अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत ।

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
04.10.2020	<p>पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 6025/सी०आर०, दिनांक 28.09.2020 द्वारा (संलग्न अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर के पत्रांक 3176 दिनांक 27.09.2020) अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया ।</p> <p>उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी मो० आजम, पिता-मो० मोकिम, सा०-अबदाल, टोला-महेन्द्रपुर, थाना-सदर (मुफ्फसिल), जिला-पूर्णिया एक कुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है । वर्तमान में ये जेल से बाहर हैं । इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है । वर्तमान में इनका क्रियाकलाप बहुत ही संदिग्ध है । इससे आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2020 के अवसर के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।</p> <p>इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सदर (मुफ्फसिल) थाना कांड संख्या-595/2018 दिनांक-20.10.2018, धारा-392, 411 भा०द०वि०</li> <li>2. सदर (मुफ्फसिल) थाना सनहा संख्या-604/2020 दिनांक-23.09.2020</li> <li>3. सदर (मुफ्फसिल) थाना सनहा संख्या-627/2020 दिनांक 24.09.2020</li> </ol> <p>अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा इस अपराधकर्मी के गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया है ।</p> <p>विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार से स्पष्ट होता है कि उक्त अपराधकर्मी पर मात्र एक काण्ड ही दर्ज है । फलतः अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई का पर्याप्त आधार नहीं बनता है ।</p>	

चूँकि थानाध्यक्ष, सदर (मुफ्फसिल) / अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः थानाध्यक्ष, सदर (मुफ्फसिल) को निदेश दिया जाता है कि मो० आजम, पिता-मो० मोकिम, सा०-अबदाल, टोला-महेन्द्रपुर, थाना-सदर (मुफ्फसिल), जिला-पूर्णिया पर विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाइट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्णिया।

आपका 2550 / विधि शर्णिया, दिनांक 06.10.20

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, सदर (मुफ्फसिल) को  
सूचना एवं अनुपालनाय प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनु पुलिस पदाधिकारी/सदर/जिला जन  
सम्पर्क पदाधिकारी/पूर्णिया/जिला सूचना एवं विज्ञान  
पदाधिकारी को सूचना एवं आदेश प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, शर्णिया को सदर  
सूचना प्रेषित।

06/10/20  
वर्षीय उपसमाह  
जिला विधि शाखा  
पूर्णिया